<u>न्यायालय सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।</u>

वाद संख्या–485/2022
श्रीराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य।

<u>01.11.2022</u>

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थना–पत्र 6ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय समर्थित शपथ–पत्र 7ग पर वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य को भी पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थना–पत्र 6ग अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रतिवादीगण को भी सुना जाना आवश्यक है। बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय रूप से अस्थाई व्यादेश जारी किये जाने के आधार पर्याप्त नही हैं। अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई 6ग दिनांक 15.11.2022 को पेश हो।

सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।

8ग प्रार्थना–पत्र अदालत अमीन पर सुना। स्वीकृत। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन नियत तिथि तक प्रार्थना–पत्र में दिये गये तथ्यों के अनुक्रम में वास्तविक स्थिति अंकित कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।

Digitally signed by Jyoti Agarwal
Date: 2022.11.02 14:21:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court Jaunpur